# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 16.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में एसओजी व कोतवाली कर्वी की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा करते हुये 02 अभियुक्तों को 01 अदद लाइसेन्सी DBBL गन, 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व लगभग 1.5 लाख कीमत के जेवरात तथा नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**

1. दीपक गुरू पुत्र रामफल निवासी कछार पूरवा मजरा कोल गदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2. भानू प्रताप उर्फ लल्ला मिश्रा पुत्र राम कृपाल मिश्रा निवासी सूफा थाना चरखारी जनपद महोबा

**अभियुक्त दीपक गुरू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण-**

(1). मु0अ0सं0 19/020 धारा 379/411 भादवि0 कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(2). मु0अ0सं0 29/020 धारा 380/411 भादवि0 कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(3). मु0अ0सं0 224/020 धारा 401 भादवि0 कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(4). मु0अ0सं0 283/020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(5). मु0अ0स0 536/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(6). मु0अ0स0 535/24 धारा 331(3)/305 बीएनएस कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(7). मु0अ0स0 657/24 धारा 331(3)/305 बीएनएस कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

**भानू प्रताप उर्फ लल्ला मिश्रा अपराधिक इतिहास का विवरण-**

(1). मु0अ0सं0 142/020 धारा 3(1)ध,3(1)द,3(2) एससीएसटी एक्ट,323,325,452,504,506 भादवि0 थाना चरखारी जनपद महोबा
(2). मु0अ0सं0 61/023 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
(3). मु0अ0सं0 150/021 धारा 457,380,411 भादवि थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
(4). मु0अ0स0 536/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(5). मु0अ0स0 535/24 धारा 331(3)/305 बीएनएस कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
(6). मु0अ0स0 657/24 धारा 331(3)/305 बीएनएस कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

**बरामदगीः-**

(1) 01 अदद लाइसेन्सी डीबीबीएल गन
(2) 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
(3) 01 गिलास सफेद धातू की
(4) 01 कटोरी सफेद धातू
(5) 02 अदद लक्ष्मी गणेश की मूर्ति
(6) 05 जोडी बिछिया सफेद धातू
(7) 02 अदद सिक्का सफेद धातु
(8) 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु
(9) 01 ओम लाकेट पीली धातु
(10) 01 सलाई पीली धातु
(11) 01 जोडी पायल सफेद धातु
(11) 01 थाली सफेद धातु

(12)  01 अदद नारियल धातु लगा,

(13)  02 अदद चूडी सफेद धातु

(14)  05 जोडी बिछिया सफेद धातु

(15)  01 अदद चूडी सफेद धातु

(16).  01 जोडी बिछिया सफेद धातु

(17). 01 हजार रुपये नगद

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-**

बन्धोईन बन्धे के पुलिया के पास पुरानी मन्दिर के पहले बने चबुतरा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ,दिनांक 16.12.2024 समय 06.05 बजे सुबह

**संक्षिप्त विवरणः-**

जनपद में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा चोरियों के खुलासे हेतु एसओजी,कोतवाली कर्वी की टीम को लगाया गया था । एसओजी,कोतवाली कर्वी की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनाँक 16.12.2024 को सुबह करीब 06.05 बजे मुखबिर की सूचना पर बन्धोईन बन्धे के पुलिया के पास पुरानी मन्दिर के पहले बने चबुतरे से 02 अभियुक्तों  को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद लाइसेन्सी डीबीबीएल बन्दूक का नम्बर 7405669, 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर,01 गिलास, 01 कटोरी, दो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति,05 जोडी बिछिया, 02 अदद सिक्का सफेद धातु, 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु,01 ओम लाकेट पीली धातु,01 सलाई पीली धातु,01 जोडी पायल सफेद धातु, 01 थाली सफेद धातु,01 अदद नारियल धातु लगा, 02 अदद चूडी सफेद धातु,05 जोडी बिछिया सफेद धातु, 01 अदद चूडी सफेद धातु,01 जोडी बिछिया सफेद धातु व 01 हजार रुपये नगद बरामद हुये। अभियुक्तों से नाम पता पूंछा गया तो अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः दीपक गुरू पुत्र रामफल निवासी कछार पूरवा मजरा कोल गदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बताया व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम भानू प्रताप उर्फ लल्ला मिश्रा पुत्र राम कृपाल मिश्रा निवासी सूफा थाना चरखारी जनपद महोबा बताया। अभियुक्तों द्वारा पूंछताछ में बताया कि हम 04 लोग योजना बनाकर चोरी करते हैं अन्य दो के नाम क्रमशः राजकुमार कोरी उर्फ छोटू पुत्र केसरी प्रसाद निवासी काजी पुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा व राजू अहिरवार पुत्र कन्धी लाल अहिरवार निवासी बजरिया थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा है तथा जो माल मिलता है आपस में बराबर बांट लेते हैं, पूछताछ में दोनो अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि आज से करीब 4 माह पहले अगस्त महीने में बनकट मोड के आगे दो घरों मे जो फौजियो के थे वहाँ पर हम लोगो ने मिलकर रात के समय ताला तोडकर चोरी किए थे। दोनों मकान से एक बन्दूक डबल बैरल व पाँच कारतूस व 20000/- रुपये व कुछ चाँदी के आभूषण व पूजा का सामान मिला था जिनको हम लोगो ने आपस मे बाँट लिया था । अन्य बरामद जेवरात के बारे में कड़ाई से पूंछताछ में बताए कि एक चोरी हम दोनों ने आज से करीब 02 माह पहले कर्वी माफी मे भीम सिंह के घर का ताला दिन में तोडकर कुछ आभूषण,नकदी चोरी किए थे जिसमें से 01 चूडी सफेद धातू की व चाँदी की बिछिया इस चोरी की है और कुछ आभूषण हम लोगो ने बेच दिया था और पैसे खर्च कर लिए थे।  चोरी के माल बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित मुकदमों में सुसंगत धाराओं में बढ़ोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीमः-**

1.निरीक्षक श्री एमपी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी

2.मुख्य आरक्षी नीतेश समाधिया

3.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

4.आरक्षी रोशन सिंह

5.आरक्षी पवन राजपूत

**<u>गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कर्वी पुलिस टीम-</u>**

(1). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह

(2).  निरीक्षक अपराध लाखन सिंह

(3). उ0नि0 अंशुल कुमार

(4). आरक्षी बहोरन

(5).आरक्षी विनीत पाण्डेय

(6). आरक्षी चालक कुलदीप द्विवेदी

**(4).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी ब्रजकिशोर तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 16.12.2024 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2018 धारा 506 भादवि0 व 08 पॉस्को एक्ट के आरोपी अभियुक्त श्रीकेशन तिवारी पुत्र महादेव तिवारी निवासी बिहरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः

दिनाँक 23.12.2018 को एक वादिया द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी गयी कि उसने नाबालिक लड़के के साथ अभियुक्त यौन शोषण तथा जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0  219/2018 धारा 506 भादवि0 व 08 पॉस्को एक्ट बनाम श्री केशन तिवारी उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध दिनाँक 04.03.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

**(5).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 16.12.2024 को थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 773/2015 धारा 279,337,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सुखलाल पुत्र सुन्दरलाल निवासी कोइलहा थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी को 2600/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

**(6).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस

अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 16.12.2024 को थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 3113/2011 धारा 279,337,338 भादवि0 व 184 एम0वी0एक्ट के आरोपी अभियुक्त आनन्द कुमार त्रिपाठी पुत्र मनोज कुमार त्रिपाठी निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 3300/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।